

साहेबगंज समाहरणालय
जिला भू-अर्जन शाखा, साहेबगंज
अधिघोषणा
(अधिनियम-30/2013 की धारा-19(1) के अधीन)

संख्या-डी0एल0ए0 साहेबगंज _____/17-18/_____/भू0अ0, दिनांक-

चूंकि झारखण्ड सरकार/समाहर्ता, साहेबगंज को यह प्रतीत होता है कि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ यथा परियोजना भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (बन्दरगाह निर्माण) के द्वितीय चरण अन्तर्गत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतू, मौजा-पलटनगंज, थाना-तालझारी, थाना सं0-01, अंचल-तालझारी, जिला-साहेबगंज में कुल-15.81 एकड़ भूमि अपेक्षित है। इसलिए अधिघोषणा किया जाता है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए अर्जन के अधीन एक भू-खण्ड है, जो मानक माप से कमोवेश 15.81 एकड़ यानिX..... हेक्टेयर है, जिसका विवरणी निम्नलिखित है :-

क्र म सं0	खाता सं0	सर्वे भूखंड सं0	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं0)			
							उ0	द0	पू0	प0
01	01	03 04 29 33	रैयती	बाड़ी-1 धानी-2 धानी-1 धानी-2	00.41 01.24 00.93 00.20	1. वेदानन्द मंडल वगैरह पिता-सीताराम मंडल, 2. राजेश मंडल वगैरह पिता-स्व0 लक्ष्मण मंडल 3. आयुष रंजन मंडल पिता-स्व0 अर्जुन मंडल				
02	02	05	रैयती	बाड़ी-1	01.78	1. सुरेश लाल पिता-स्व0 अमीरचंद लाल 2. गणेश लाल वगैरह पिता-स्व0 राम नरेश लाल				
03	03	51	रैयती	धानी-2	01.34	1. पुनिया कुमारी 2. घाघू उर्राव वगैरह पिता-स्व0 किशन उर्राव				
04	13	46 47 57 34 36	रैयती	धानी-2 बाड़ी-1 धानी-1 धानी-1 धानी-2	00.13 00.24 01.00 01.58 01.65	1. हवीव चौधरी वगैरह, पिता-स्व0 मुराधन चौधरी 2. मो0 आवुल पिता-स्व0 लियाकत चौधरी 3. डोमन मियाँ वगैरह, पिता-स्व0 हसानी चौधरी 4. मो0 रियासत पिता-स्व0 अजामत 5. मो0 रिजुल पिता-मो0 नजीमुद्दीन	रास्ता, दाग नं0-323 7, 36 अंश 45 अंश 49 अंश 46 अंश 47 अंश	दाग नं0-5 अंश, नाला, 7, 29 अंश, 35, 58, 59, 79 एवं 54 अंश	सीमाना	नाला
05	6	45	रैयती	धानी-2	00.10	तिलक मुसहर वल्द मधके मुसहर				
06	15	50 54	रैयती		00.30 00.40	1. मिथिलेश प्रसाद वगैरह पिता-स्व0 कालिका प्रसाद				
07	10	52 53 55 56	रैयती	धानी-2 धानी-2 धानी-1 धानी-1	01.22 00.64 00.47 00.79	1. विजय सिंह, पिता-स्व0 रमेश चन्द्र मंडल 2. अजय मंडल वगैरह पिता-स्व0 जगदीश मंडल 3. शंकर मंडल वगैरह, पिता-स्व0 विरेन महलदार 4. विश्वनाथ महलदार				

						वगैरह, पिता--स्व० हिरण महलदार			
08	5	30 31	रैयती	धानी-2 धानी-3	01.12 00.27	1. कोको मियां, पिता-मधु चौधरी वगैरह 2. मो० मुबारक पिता-अकबर अली वगैरह 3. दुराय वगैरह, पिता-स्व० मो० कादीर 4. मो० भीखन मियां वगैरह, पिता-स्व० मो० अलामत मियां			
				कुल रकवा	15.81				

यह अधिघोषणा हितबद्ध व्यक्तियों की आपत्तियों के सुनने और अधिनियम सं०-30/2013 की धारा-15 में प्रदत्त यथा उपबंधित सम्यक जाँच के पश्चात् किया गया है। भूमि अर्जन के कारण पुनर्व्यवस्थापन के लिए संभावित परिवारों की संख्या जिनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं, जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नवत् है :-

ग्राम-.....X....., थाना-..... X, थाना सं०-..... X, अंचल-..... X, जिला-.....X.....
..., क्षेत्रफल-.....X..... एकड़ यानिX..... हे० जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, साहेबगंज के कार्यालय में किसी कार्य दिवस के दिन भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना के सार नीचे दिये गये हैं :-

पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम अन्तर्गत रैयतों को उचित प्रतिकर यथा परिवहन भत्ता, पुनर्व्यवस्थापन भत्ता, जीवनयापन भत्ता यथा योग्य रूप से किया जायेगा।

६० —
उपायुक्त,
साहेबगंज।

प्रतिलिपि :- प्रभारी पदाधिकारी, जिला गजट शाखा, साहेबगंज को अगले अंक में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि अधिसूचना के पीछे उपर्युक्त ज्ञापांक का प्रकाशन जिला गजट में अधिसूचना के साथ करना आवश्यक है।

प्रतिलिपि :- निदेशक, भू-अर्जन झारखण्ड, रांची को सूचनार्थ प्रेषित।

६० —
उपायुक्त,
साहेबगंज।

ज्ञापांक475...../भू०अ०, साहेबगंज, दिनांक 15.9.2017.....

प्रतिलिपि :- निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखण्ड, रांची को सूचनार्थ एवं दो दैनिक समाचार पत्रों में नियमानुसार प्रकाशनार्थ प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि प्रकाशन की सूचना सीधे जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, साहेबगंज को भेजने की कृपा की जाय।

६० —
उपायुक्त,
साहेबगंज।